भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3817

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में एपीएल राशन कार्ड

3817. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) राशन कार्डों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में एपीएल कार्डधारकों की संख्या और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एपीएल कार्डों के दायरे का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे विस्तार के लिए ब्यौरा और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एपीएल कार्ड जारी करने और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत निःशुल्क खाद्यान प्राप्त करने ले लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। इस अधिनियम के तहत दो श्रेणियां हैं- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवार जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार सबसे निर्धन हैं और शेष परिवार प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार चिह्नित किया जाता है। अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की कोई श्रेणी नहीं है।

...2/-

इस अधिनियम में महाराष्ट्र की 76.32% ग्रामीण और 45.34% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है, जो जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 700.17 लाख व्यक्ति है। राज्य ने अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक लाभार्थियों की पहचान कर ली है।

(ग) और (घ): इस अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवरेज का प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या की गणना ऐसी जनगणना के जनसंख्या अनुमान के आधार पर की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं।

वर्तमान में, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों के कवरेज को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ.): इस अधिनियम में राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान है, ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्य-प्रणाली तथा ऐसी प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

इस अधिनियम में स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की कार्य-प्रणाली की आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार भी ऐसी लेखापरीक्षा करने में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा कर सकती है या करवा सकती है।

*****